बअदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजू v/s बुद्धिशंकर

23/24 RTA

2023/215

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री लीलाराम रावत श्री बुद्धिदेव चौधरी 1,7

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

राजू बनाम बुद्धिशंकर वगैरह (2023/215)

5/12/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम लौहरवाडा झबरकिया के दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 636, 640, 641, 641/6228, 648/6418 अपीलांटगण की खातेदारी खरीदशुदा भूमि है जिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है किंतु अप्रार्थीगण जबरदस्ती बलपूर्वक अवैध कब्जा करने पर उतारू है तथा मौके पर कोई भी अप्रिय घटना कारित होने की पूर्ण संभावना होने से अपीलांट प्रार्थी द्वारा रिसिवरी हेतु आवेदन किया जिस पर नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए गए की आड में रेस्पोडेंटगण बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा बेचान रहन हस्तांतरण करने की धमकी दे रहे है तथा भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते है जिससे रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि ताफैसला अपील लौहरवाडा झबरकिया के दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 636, 640, 641, 641/6228, 648/6418 पर प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करे तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करने एवं बय, बेचान, रहन, हस्तांतरण नहीं करे किसी प्रकार से बाधा, नुकसान कारित नहीं करे ना ही किसी अन्य से कराए तथा मौके वे रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने के आदेश दिनांक 23.6.2023 को दिए गए। इस बाबत अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो कि उक्त अपील न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने से न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2023 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.06.2023 में नोटिस जारी किये जाने बाबत आदेश पारित किया है, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रस्तुत अहम न्यायिक प्रक्रिया के तहत् प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के तहत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है क्योंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ

21/5/2023 | 225 रवी   राज.प्र./ 8 / 15/2/3म

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2023/215 R-246, 8 मे 12 मं.
पेशी	श्री मोतीलाल रावत श्री पुरुषोत्तम चौधरी 1,7

लगातार

अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपील को इसी स्तर पर न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते गुणावगुण पर निस्तारण 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रैस्पोडेन्टस को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2025 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner